(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला : पंचकूला, थाना : राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला, वर्ष : 2015, प्र0सु0रि0स0 : 02

दिनांक : 11.03.2015

2. धारा 7 पी0सी0 एक्ट, 1988

3. (क) अपराध की घटना : 11.03.2015

(ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 11.03.2015 समय 5:40 पी0एम0।

(ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 10

4. सूचना का प्रकार : लिखित।

5. घटनास्थल : (क) थाना से दिशा एंव दूरी : पूर्व दिशा में करीब 16 कि0मी0।

6. शिकायतकर्ता/सूचनादाता :

नाम : सोहन सिंह।

पिता का नाम : श्री बाबर सिंह।

राष्ट्रीयता : भारतीय।

व्यवसाय : खेतीबाड़ी।

पता : गांव बलौटी, थाना चण्डीमन्दिर, जिला पंचकूला।

9. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण : जितेन्द्र कुमार, गार्ड वन विभाग, पंचकूला।

10. लिंग : पुरूष।

भाषा : हिन्दी।

11. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण : कोई नहीं।

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :– सेवा में, श्रीमान जी, निवेदन है कि मै सोहन सिह पुत्र श्री बाबर सिह वासी गाव बलोटी थाना चण्डीमन्दिर जिला पचकुला का रहने वाला हू। मैं खेती–बाड़ी का काम करता हूं। मैने 5 साल पहले मकान में एक छप्पर डाला हुआ था। जिसमें मैने 5/6 बलियां सांगवान की व 3/4 बलियां चिल्ली की डाल रखी थी जो मैने 2 साल पहले छप्पर उखाडकर उस पर लैटंर डाल दिया था। जो मेरी लकडी की बल्लिया फालतू हो गई थीं। जो मैने इन बल्लियों की चारपाई की बाईया बनवाने के लिये बल्लियो का चिरवाने के लिये कोट आरे पर ट्राली मे डालकर 10 दिन पहले ले जा रहा था। कि जितेन्द्र गाार्ड वन विभाग ने पेड के पास ट्राली रोक ली और कहने लगा कि यह बल्लिया वन विभाग की है। इस पर मैने क्हा कि 5 साल पहले खेत से काटकर छप्पर मे लगाई थी। मगर जितेन्द्र गार्ड कहने लगा तुमने यह जगल से चोरी की है। तेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा बनवाउगा। मैने क्हा यह लक्कड 5/6 साल से है। मैने चोरी नही की है और जितेन्द्र गार्ड कहने लगा कि इन बल्लियो को नर्सरी मे रख देते है। अगर तुम मुझे 7 हजार रुपये बतौर रिश्वत दे देगो तो मै तुम्हारी लक्कड छोड दूगां। व तेरे

खिलाफ मुकदमा दर्ज नही करुगां। मै यह रिश्वत के पैसे गार्ड जितेन्द्र को देना नही चाहता। वह बिना रिश्वत लियें मेरी लक्कड को वापिस नही करेगा। मैं 7,000 रुपयें लेकर आपके पास आया हुं। जिसके बारें मैंने अपने मोबाईल नम्बर 9466713564 से जितेन्द्र गार्ड के मोबाईल नम्बर 9466768343 पर काल करके रिकार्डिंग भी की थी , जिसकी सी0डी0 मैं बाद में पेश कर दुंगा। जितेन्द्र गार्ड के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायें । हस्ता– सोहन सिंह नम्बर 9466713564 दिनांक 11.03.2015 कार्यवाही पुलिस :– आज मैं उप पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ के बा सवारी सरकारी गाडी HR-03L-6883 जिसका चालक ए0एस0आई0 प्रदीप कुमार 601/पंचकूला मय मुलाजमान ए0एस0आई0 ऋषि पाल 274/रुरल अम्बाला, ए0एस0आई0 राजकुमार 360/अम्बाला, ए0एस0आई0 जगतार सिह 1278/अम्बाला, एस0आई0 रमेश चन्द्र 446/सोनीपत व निरीक्षक सुरेश कुमार बराये कार सरकार डियुटी मुख्यालय सैक्टर–6, पंचकूला में हुं कि श्री सोहन सिंह मुदई उपरोक्त ने एक लिखित दरखास्त बाबत मांगने रिश्वत राशि विरुद्ध श्री जितेन्द्र गार्ड वन विभाग के दी व इस दरखास्त के साथ 500/500 रुपयें 14 करंसी नम्बरी नोट कुल 7,000 रुपयें राशि के पेश किये जिनकी सूचि नोट अलग से तैयार की गई जो मन उप पुलिस अधीक्षक ने ए0एस0आई0 राजकुमार 360/अम्बाला, ए0एस0आई0 जगतार सिंह 1278/अम्बाला, एस0आई0 रमेश चन्द्र 446/सोनीपत व निरीक्षक सुरेश कुमार के रेडिंग पार्टी तैयार की जो मजबून दरखास्त से सरेदस्त सुरत जुर्म 7 पी0सी0 एक्ट 1988 का सरजद होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बादस्त ए0एस0आई0 ऋषि पाल 274/अम्बाला के थाना में भेज कर अनुरोध है कि मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके मुकदमा की प्रथम सूचना रिपोर्ट बतौर स्पैशल रिपोर्ट सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट पंचकूला व अन्य प्रतियां सेवा में अफसरान बाला के भिजवाई जायें तथा नकल मिसल व असल तहरीर बर मौका पर आरिन्दा के हाथ के भिजवाई जायें। जो मै उप पुलिस अधीक्षक मय रेडिंग पार्टी मय मुदई श्री सोहन सिंह मय तफतीशी बैग मय लैपटाप हमरा लेकर रवाना कार्यलय उपायुक्त महोदय का होता हुं। उपायुक्त महोदय से अनुमति लेकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। हस्ता– सुरेश कुमार उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला मण्डल पंचकूला 11.03.2015 समय 5:15 पी0एम0 । अज थाना : उपरोक्त लेख पर अभियोग अंकित करके स्पैशल रिपोर्ट सी0जे0एम0 साहब पंचकूला की सेवा में व नकुलात प्रथम सूचना की रिपोर्ट की प्रतियां उच्च अधिकारियों की सेवा में आरिन्द ए0एस0आई0 ऋषि पाल व नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर बर मौका भिजावाई जा रही है।

13. अनुसंधान अधिकारी :– **सुरेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, थाना राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला।**
ईलाका मैजीस्ट्रेट पंचकूला।
बदस्त ए0एस0आई0 ऋषि पाल न0 274/अम्बाला।

हस्ता :
ए0एस0आई0 बलविन्द्र सिंह,709 अम्बाला
थाना, राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला।
दिनांक 11.03.2015